प्रस्ताव संख्या– 1

कार्यकारिणी–समिति की बैठक दिनांक 04.04.2018 की सम्पुष्टि।

कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 04.04.2018 की कार्यवाही पढ़कर सुनाई गई। कार्यकारिणी समिति अवगत हुई, सर्वसम्मति से सम्पुष्टि की जाती है।

प्रस्ताव संख्या–2

अवर अभियंता नजूल की आख्यानुसार प्रधानाचार्य हजारीमल सोमानी नगर पालिका इण्टर कॉलेज, वृन्दावन के पत्र–दिनांक 03.03.2018 कि हजारीमल सोमानी नगर पालिका इण्टर कॉलेज वृन्दावन का संचालन पूर्व में नगर पालिका परिषद् वृन्दावन के द्वारा किया जाता था। वर्तमान में सरकारी अधिसूचना सं0 1799/नौ–7–17–8 सीमाविस्तार /2016 दिनांक 12.05.2017 द्वारा नगर पालिक परिषद् वृन्दावन एवं नगर पालिक परिषद् मथुरा को मिलाकर नगर निगम बनाया जा चुका है, तथा वर्तमान में विद्यालय का संचालन नगर निगम मथुरा वृन्दावन द्वारा किया जा रहा है। अतः विद्यलाय का नाम हजारीमल सोमानी नगर पालिका इण्टर कॉलेज वृन्दावन, मथुरा के स्थान पर हजारीमल सोमानी नगर निगम मथुरा वृन्दावन इण्टर कॉलेज, वृन्दावन किये जाने का अनुरोध किया है। विषय कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ, स्वीकृतार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। कार्यकारिणी समिति अवगत हुई, सर्वसम्मति से विद्यालय का नाम हजारी मल सोमानी नगर निगम इण्टर कॉलेज किया जाना स्वीकार है।

प्रस्ताव संख्या–3

अवर अभियंता नजूल की आख्यानुसार प्रधानाचार्या नगर पालिका वालिका इण्टर कॉलेज, वृन्दावन के पत्र सं0–दिनांक 07.03.2018 कि नगर पालिका वालिका इण्टर कॉलेज वृन्दावन का संचालन पूर्व में नगर पालिका परिषद् वृन्दावन के द्वारा किया जाता था। वर्तमान में सरकारी अधिसूचना सं0 1799/नौ–7–17–8 सीमाविस्तार/2016 दिनांक 12.05.2017 द्वारा नगर पालिक परिषद् वृन्दावन एवं नगर पालिक परिषद् मथुरा को मिलाकर नगर निगम बनाया जा चुका है, तथा वर्तमान में विद्यालय का संचालन नगर निगम मथुरा वृन्दावन द्वारा किया जा रहा है। अतः विद्यलाय का नाम नगर पालिका वालिका इण्टर कॉलेज वृन्दावन, मथुरा के स्थान पर नगर निगम मथुरा वृन्दावन वालिका इण्टर कॉलेज, वृन्दावन किये जाने का अनुरोध किया है। विषय कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ, स्वीकृतार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। कार्यकारिणी समिति अवगत हुई, सर्वसम्मति से विद्यालय का नाम नगर निगम बालिका इण्टर कॉलेज किया जाना स्वीकार है।

प्रस्ताव संख्या–4

मुख्य अभियंता (सिविल) आख्यानुसार राज्य वित्त आयोग/बोर्ड फण्ड की धनराशि से मा0 पार्षदों द्वारा जनहित में अपने–अपने वार्डो में नाली सड़क निर्माण आदि कार्य संलग्न सूची अनुसार 1 लगायत 12 कराया जाना प्रस्तावित है, जिस पर अनुमानित व्यय आगणन धनराशि अनुसार रू0 2,20,66,564/– होगा। विषय कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। कार्यकारिणी समिति अवगत हुई, सर्वसम्मति से स्वीकार है।

प्रस्ताव संख्या–5

महाप्रबन्धक जल की आख्यानुसार डैम्पीयर नगर एल0पी0 नागर रोड, पंजाबी पेंच, बृजनगर, सुभाष नगर, अम्बाखार, मोहन कुन्ज, आदि क्षेत्रों की जलापूर्ति समस्या के निदान हेतु 14 इंची नलकूप का अधिष्ठापन कार्य चौकी बागवहादुर क्षेत्र में कराया जाना प्रस्तावित है, जिस पर रू0 14,99,664/– का अनुमानित व्यय होगा। विषय कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। कार्यकारिणी समिति अवगत हुई, सर्वसम्मति से स्वीकार है।

प्रस्ताव संख्या–6

महाप्रबन्धक जल की आख्यानुसार, रमनरेती वाराह घाट, गऊ घाट आदि क्षेत्र आदि में नलकूप समाप्त होने के कारण जलापूर्ति की समस्या उत्पन्न हो गई है, की जलापूर्ति समस्या के निदान हेतु यहॉ एक नलकूप निर्माण कार्य कराया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है ,जिसके लिए अवर अभिंयता जल द्वारा 12 इंची नलकूप का अधिष्ठापन कार्य रमनरेती वाराह घाट,गऊ घाट क्षेत्र में कराया जाना प्रस्तावित है, जिस पर रू0 14,99,664/– का अनुमानित व्यय होगा। विषय कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। कार्यकारिणी समिति अवगत हुई, सर्वसम्मति से स्वीकार है।

प्रस्ताव संख्या–7

महाप्रबंन्धक जल आख्यानुसार नगर निगम सीमान्तर्गत सम्मिलित 51 गॉव में विभिन्न 22 गॉव में 44 नलकूपों को पम्प ऑपरेटर द्वारा संचालन हेतु 15 मई से 31 मई, 2018 तक 15 दिनों के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 की अनुबन्ध दरों पर रू0 12,800/– प्रति नलकूप प्रतिदिन में नगर आयुक्त महो0 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। आगे भी इनका लगातार संचालन करने की आवश्यकता है। अतः आगामी तीन माह के लिए उक्त 44 नलकूप ग्रामीण क्षेत्र अन्तर्गत संचालन कार्य हेतु रू0 16,89,600/– का अनुमानित व्यय होगा। विषय कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। कार्यकारिणी समिति अवगत हुई, सर्वसम्मति से स्वीकार है।

बैठक के दौरान मा0 महापौर महोदय की आज्ञा से रखे गये प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या–8

श्री गोविन्द मण्डल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रार्थना पत्र दिनांक 07.05.2018 पर मुख्य अभियंता सिविल की आख्यानुसार गोकुल वैराज के पास औरंगाबाद खादर के गाटा सं0 272/21 रकवा 0.809 हेक्टयर ग्राम सभा भूमि जो निगम के गठन होने कारण निगम में समायोजित हो चुकी है, तथा भूमि का स्वामित्व नगर निगम का है। उक्त भूमि में से 4000 वर्ग मीटर भूमि शमशान घाट हेतु दिये जाने का अनुरोध किया गया है। विषय कार्याकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। कार्यकारिणी समिति अवगत हुई, सर्वसम्मति से स्वीकार है। भूमि का स्वामित्व सदैव नगर निगम का रहेगा।

प्रस्ताव संख्या–9

मुख्य अभियंता सिविल की आख्यानुसार वृन्दावन में रंगजी मन्दिर के पास कोतवाली के सामने नगर निगम के स्वामत्वि का भवन (लक्ष्मण शहीद भवन) जो अत्यन्त जीर्ण–क्षीर्ण अवस्था में है, का जीणोंद्वार कर पर्यटकों एवं नागरिकों के लिए सामुदायिक केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने हेतु रू0 635 लाख का आगणन उ0प्र0 बृज तीर्थ विकास परिषद् मथुरा द्वारा तैयार किया गया है। लक्ष्मण शहीद स्मारक का निर्माण/विकास होने के उपरान्त उ0प्र0 बृज तीर्थ विकास परिषद मथुरा उक्त सामुदायिक केन्द्र को नगर निगम मथुरा वृन्दावन को हस्तांरित कर देगा। इसके लिए उ0प्र0 तीर्थ विकास परिषद द्वारा अपने पत्र दिनांक 24.05.2018 के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है। विषय कार्याकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। कार्यकारिणी समिति अवगत हुई, सर्वसम्मति से अनापत्ति दिया जाना स्वीकार है। भवन (लक्ष्मण शहीद) का स्वामित्व सदैव नगर निगम का रहेगा।

प्रस्ताव संख्या–10

श्री हेमन्त अग्रवाल, उपसभापति कार्यकारिणी समिति नगर निगम मथुरा–वृन्दावन के पत्र दिनांक 19.05.2018 जिसके द्वारा अध्यक्ष, नगर पालिका परिषदों को दिये जा रहे शिष्टाचार व्यय हेतु धनराशि के समान महापौर को भी शिष्टाचार व्यय के रूप में गणमान्य व्यक्तियों के अतिथि सम्मान हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। विषय कार्याकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। कार्यकारिणी समिति अवगत हुई, इस सम्बन्ध में शासन से मार्गदर्शन प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या–11

वर्तमान में पूर्ववर्ती नगर पालिक परिषद् मथुरा/नगर पालिका परिषद वृन्दावन व 51 गांव को सम्मिलित कर नगर निगम मथुरा वृन्दावन गठित किया गया जा चुका है। नगर निगम में सम्मिलित 51 गांव की जलापूर्ति वर्षो से बन्द पड़ी है। ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत में रखते हुये यह 51 गांव निगम के अन्तर्गत मुख्यालय से 15 किमी दायरे में बसे हुये है। इन 51 गांव को जलापूर्ति व्यवस्था यथा स्थिति बनाये रखने हेतु 29 (कुशल श्रमिक इलैक्ट्रिशियन/कुशल श्रमिक हैण्डपम्प मिस्त्री/वेलदार/श्रमिक/चौकीदार) जो ठेका या सेवाप्रदाता के माध्यम से कार्य करेगें, जिन पर होने वाला प्रतिमाह व्यय रू0 52,578 x 29 =15,24,762/– होगा। श्रमिकों की व्यवस्था हेतु विषय कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। कार्यकारिणी समिति अवगत हुई, सर्वसम्मति से स्वीकार है।

हस्ताक्षर – मुकेश आर्यबन्धु

महापौर

दिनांक 25.05.2018